www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 31.05.2017

घूसखोरी के मामले में दो तत्कालीन सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ताओं को तीन से चार वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, जोधपुर (राजस्थान) ने आज, घूसखोरी के मामले में एम.ई.एस., मिलिट्री स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान) के तत्कालीन सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता श्री जर्नादन परब को 3,000 रू. के जुर्माने सहित चार वर्ष की कठोर कारावास एवं तत्कालीन सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता श्री विजय कुमार को 2,000 रू. के जुर्माने सहित तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई ने एम.ई.एस., मिलिट्री स्टेशन, सूरतगढ़ (राजस्थान) में कार्यरत सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता श्री जर्नादन परब एवं सहायक सैन्य दुर्ग अभियन्ता श्री विजय कुमार के विरूद्ध दिनांक 12.06.2014 को मामला दर्ज किया जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक षड़यंत्र में हिस्सा लिया एवं बकाया बिलों को पास करने के लिए शिकायतकर्ता से 80,000 रू. की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल बिछाया जिसमें श्री जर्नादन परब को 40,000 रू. (20,000 रू. स्वम् के लिए तथा 20,000 रू. श्री विजय कुमार के लिए) की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान दिनांक 12.06.2014 को गिरफ्तार किया। जॉंच के पूर्ण होने के पश्चात, श्री जर्नादन परब एवं श्री विजय कुमार के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13(2) के साथ पठित धारा 13(1) के तहत दिनांक 27.02.2015 को आरोप पत्र दायर हुआ। दिनांक 28.09.2015 को आरोप तय किए गए। कुल 12 गवाहों का परीक्षण (Examined) किया।

विचारण अदालत ने दोनो आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया व उन्हें दोषी ठहराया।

****